

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

डिक्रीधन भुगतान हेतु ₹125.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2

सिम्स के मरम्मत कार्य हेतु ₹1,000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 3

1. शंकर नगर रायपुर स्थित शासकीय आवासगृह क्र. बी 5/9 में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 13.89 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
2. जिला जशपुर के ग्राम बंदरचुआ में विश्रामगृह का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 700.00 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
3. जिला जशपुर के सी.एम. हाऊस कैम्प ग्राम बगीचा में ऑफिस एवं ओ.एस.डी. विश्राम कक्ष का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 300.00 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
4. जिला जशपुर के कुनकुरी में सी.एम. कैम्प ऑफिस का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 200.00 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
5. जशपुर में सी.एम. कैम्प ऑफिस का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 200.00 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
6. जिला जशपुर के ग्राम बगीचा में हेलीपैड लाऊंज का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 150.00 लाख) हेतु ₹100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है। पर इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 5

केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 8 न्यायालयों (व्यवहार न्यायालय देवभोग, परिवार न्यायालय बेमेतरा, व्यवहार न्यायालय प्रतापपुर, व्यवहार न्यायालय बसना, व्यवहार न्यायालय सिमगा में 2 कोर्ट रूम, नवीन जिला न्यायालय कोण्डागांव, जिला न्यायालय अम्बिकापुर, जिला न्यायालय बालोद) के भवन निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।